न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 556/2016

1. जगदीश नारायण पुत्र स्व. श्री सुल्तान जाति धानका निवासीः ग्राम जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. आनन्दीलाल पुत्र स्व. श्री सुल्तान जाति धानका निवासीः ग्राम जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. प्रेम पुत्री स्व. श्री सुल्तान जाति धानका, निवासीः ग्राम जमवारामगढ, जिला जयपुर।
4. संतोष पुत्री स्व. श्री सुल्तान जाति धानका निवासीः ग्राम जमवारामगढ, जिला जयपुर।
5. मनभर पुत्री स्व. श्री सुल्तान जाति धानका निवासीः ग्राम जमवारामगढ, जिला जयपुर।
6. बनवारी पुत्र स्व. श्री श्योदान जाति धानका निवासीः ग्राम जमवारामगढ, जिला जयपुर।
7. हरिनारायण पुत्र स्व. श्री श्योदान जाति धानका निवासीः ग्राम जमवारामगढ, जिला जयपुर।
8. बदाम पुत्री स्व. श्री श्योदान जाति धानका निवासीः ग्राम जमवारामगढ, जिला जयपुर।
9. परमानन्द पुत्र स्व. श्री जयनारायण जाति धानका निवासीः ग्राम जमवारामगढ, जिला जयपुर।
10. मूलचन्द पुत्र स्व. श्री जयनारायण जाति धानका निवासीः ग्राम जमवारामगढ, जिला जयपुर।
11. रामेश्वर पुत्र स्व. श्री जयनारायण जाति धानका निवासीः ग्राम जमवारामगढ, जिला जयपुर।
12. अनोखी पुत्री स्व. श्री जयनारायण जाति धानका निवासीः ग्राम जमवारामगढ, जिला जयपुर।
13. लाली पुत्री स्व. श्री जयनारायण जाति धानका निवासीः ग्राम जमवारामगढ, जिला जयपुर।
14. सन्ती पुत्री स्व. श्री जयनारायण जाति धानका निवासीः ग्राम जमवारामगढ, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामसिंह पुत्र स्व. श्री राधेश्याम जाति धानका मूल निवासीः ग्राम थली तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर एवं हाल निवासीः एफ/582 मंगोलपुरी, नई दिल्ली।
2. श्रीमती मन्नी देवी पत्नि श्री मोहनलाल जाति धानका निवासीः ग्राम थली, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर पताः तहसील कार्यालय परिसर, जमवारामगढ, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर, वाद संख्या 136/2015 उनवानी रामसिंह बनाम सरकार अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री राकेश शेखावत एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री कान्ता प्रसाद शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
श्री जी.एल. मीना एडवोकेट
राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांकः 09/12/2019

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर वाद संख्या 136/2015 बउनवानी रामसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 12.03.2016 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम थली, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में आराजी कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 1066 रकबा 1.26 हैक्टेयर साबिक खसरा नंबर 157 रकबा 5 बीघा अनुसार भूमि वादी के पिता के हित खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड चली आ रही है। वादग्रस्त भूमि के हकखातेदार राधेश्याम पुत्र नाथू रहे है जिनका राजस्व रिकॉर्ड में नाम राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ त्रुटिपूर्ण किया हुआ है, जो कि खातेदार राधेश्याम पुत्र नाथू वादी के पिता थे जिनका देहान्त दिनांक 11.12.2004 को हो चुका है जिनके वारिसान में वादी अकेला ही चला आ रहा है एवं वादी की माता अंगूरी देवी का भी देहान्त हो चुका है। वादग्रस्त भूमि में वादी बतौर पैतृक विरासती हक अधिकार मालिक, स्वामी, अधिकारी तथा काबिजदार बतौर कृषक चले आ रहे है। वादी की उपरोक्त वर्णितानुसार पैतृक विरासती एवं खातेदारी भूमि से अन्य किसी व्यक्ति या संस्था का किसी प्रकार का कोई हक व संबंध नहीं है। उक्तानुसार वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के हक पूर्वज पिता राधेश्याम पुत्र नाथू का नाम राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ अनुसार अंकित होने से वादी के हित में विरासत की कार्यवाही नहीं की जा रही है जबकि वादी अपने वंशानुगत विधिक काश्तकारी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार राधेश्याम के प्राकृतिक पिता का नाम नाथू उर्फ नाथ्या था जिससे वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ अनुसार त्रुटिपूर्ण व सहवन से अंकित कर दिया गया। वादी के पिता राधेश्याम व प्राकृतिक पिता नाथू होने होने से उनके मृत्यु प्रमाण पत्र में राधेश्याम पुत्र नाथूराम अनुसार अंकित करा लिया गया जो कि राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र के अभाव में विरासती कार्यवाही नहीं की जा रही है जबकि राधेश्याम पुत्र नाथू एवं राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ एक ही व्यक्ति रहे है जो कि वादी के पिता थे जिससे वादग्रस्त भूमि में बतौर वंशानुगत विरासत वादी के हक खातेदारी अधिकार निहित चले आ रहे है जिसकी घोषणा करवाने का वादी अधिकारी है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार

किया जाकर ग्राम थली जिला जयपुर के खसरा नंबर 1066 रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि में अंकित खातेदार राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर राधेश्याम पुत्र नाथू अंकित करने के आदेश दिया जाकर वादग्रस्त भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा तदानुसार रिकॉर्ड दुरूस्तीकरण के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्ड में अन्य दीगर का मुन्तकिल इन्द्राज नहीं करे व वादी के हितो के विरूद्व राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 12.03.2016 को वादी का वाद स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवश्यक पक्षकार राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ को वाद में पक्षकार संयोजित किये बिना ही वादी वाद डिक्री किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी साक्ष्य के एवं प्रकरण के तथ्यो को समझे बिना एवं बिना कोई जांच किये ही मात्र वादी के कथनों पर विश्वास करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय को संपूर्ण दस्तावेजात व प्रकरण की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा न कर गलत निर्णय पारित किया गया है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.03.2016 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि आराजीयात वादी के नाम ही थी किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि से राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर राधेश्याम पुत्र नाथू दर्ज हो गया था। आराजीयात पर वादी ही काबिज काश्त है एवं पूर्व में आराजीयात वादी के ही नाम रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के गहन परीक्षण पश्चात् साक्ष्य सबूतो के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस कारण अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12.03.2016 के माध्यम से स्वीकार कर वादी को खातेदार घोषित करते हुये वाद डिक्री किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजातं के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि साबिक खसरा नंबर 157 रकबा 5 बीघा जिसके हाल नंबर 1066 रकबा 1.26 हैक्टेयर है जो मिलान क्षेत्रफल एवं राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी से प्रमाणित है। उक्त साबिक खसरा नंबर 157 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन राधेश्याम के हक में हुआ था किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में राधेश्याम के पिता का नाम जगन्नाथ अंकित हो गया जिसको वादी द्वारा राधेश्याम पुत्र नाथू दुरूस्त करवाकर राधेश्याम पुत्र नाथू के वारिस के आधार पर खातेदारी चाही गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आवंटन के लिये आवेदन पत्र व

पत्रावली, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 05.09.1970 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं रिपोर्ट तहसीलदार इत्यादि के ध्यानपूर्वक अवलोकन से पाया गया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 05.09.1970 के माध्यम से क्रम संख्या 11 पर अंकित राधेश्याम पुत्र नाथूलाल जाति धानका को खसरा नंबर 157 में से 5 बीघा भूमि आवंटित की गई थी जिसमें सुस्पष्ट रूप से आवंटी राधेश्याम के पिता का नाम नाथूलाल अंकित है। आवंटन सलाहकार समिति के आवंटन आदेश 05.09.1970 में राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ नाम के किसी व्यक्ति को खसरा नंबर 157 में से 5 बीघा भूमि आवंटित किये जाने का कोई अंकन भी नहीं है। नामान्तकरण संख्या 291 की प्रमाणित प्रतिलिपि को देखने से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तकरण साबिक खसरा नंबर 157 रकबा 5 बीघा के बाबत आवंटन आदेश दिनांक 05.09.1970 का हवाला देते हुये राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ के हक में तस्दीक किया गया जबकि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 05.09.1970 को खसरा नंबर 157 में से 5 बीघा भूमि राधेश्याम पुत्र नाथूलाल को आवंटित की गई थी ना कि राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ को किया गया है। उपरोक्त विवेचन व रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तकरण संख्या 291 में त्रुटि से आवंटी के पिता का नाम नाथू की जगह आवंटन के क्रम संख्या 10 में वर्णित आवंटी के पिता जगन्नाथ का नाम आवंटी के पिता के नाम के रूप में अंकित हो गया। आवंटन सलाहकार. समिति द्वारा भी आवंटन आदेश दिनांक 05.09.1970 के माध्यम से खसरा नंबर 157 में से 5 बीघा राधेश्याम पुत्र नाथू को आवंटित की गई थी इसलिये नामान्तकरण व राजस्व रिकॉर्ड में आवंटन आदेश के विपरीत कोई इन्द्राज दर्ज हो जाने के आधार पर आवंटी के हक अधिकार अवाप्त नहीं किये जा सकते है। चूंकि नामान्तकरण एक फिसिकल प्रक्रिया है जिसके आधार पर किसी के हक अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है। इस प्रकार आवंटन आदेश दिनांक 05.09.1970 के विपरीत कोई इन्द्राज या नामान्तकरण प्रारंभ से ही शून्य है जिसके आधार अपीलान्ट कोई खातेदारी हक अधिकार प्राप्त करने के हक अधिकारी नहीं पाये जाते है एवं अपीलाधीन निर्णय से अपीलान्ट्स के किसी भी प्रकार से हक प्रभावित नहीं होते है। उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है, जो स्वीकार योग्य नहीं पायी जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2016 यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर